न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 270 रेफ0स0 08/2022 ......सरकार...... बनाम ......चरणसिंह वगै0

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.12.2022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 देहन्दा के विद्वान अभिभाषक श्री भौरीलाल शर्मा व राकेश कुमार द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 290 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम दुर्गापुरा प्रार्थीगण के पूर्वजो की खुदकाश्त आराजी है। वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 3 नाम भौक्ता में माफी सुन्दरलाल कायस्त व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में माफीदार खुदकाश्त दर्ज है। मृतक सुन्दरलाल, प्रार्थीगण के पूर्वज है और वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण जायज अधिकारी है परन्तु राजस्व कारकूना ने बिना कोई नियमों के प्रक्रिया अपनाये अवैध रूप से जरिऐ ना0 सं0 1 दिनांक 26.08.1960 को माफी सुन्दरलाल के बजाय हीरा छोटा पि0 रामचन्द्र के नाम दर्ज कर दी जो अवैध होने से खारिज योग्य है। यह है कि हीरा, छोटा कौम मीणा ने तथ्यों को छिपाते हुऐ वादग्रस्त आराजी को जरिऐ बेचान पत्र दिनांक 17.09.1962 को चरणसिंह को विक्रय कर दिया जिसका ना0सं0 16 दिनांक 12.04.1963 चरणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाटव सा0 नई दिल्ली के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी नये भू–प्रबन्ध सम्वत् 01.07.1989 से 30.06.2009 में आ0ख0नं0 498 लगायत 503 कुल किता 6 रकबा 3.09 हेक्टर दर्ज होकर चरणसिंह पुत्र अमरसिंह जाट के नाम बिना किसी आदेश के दर्ज की गई है। मौके पर चौधरी चरणसिंह कॉलोनी काटी जा चुकी है और व्यावसायिक व आवासीय गतिविधियों के रूप में उपयोग मे ली जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण नियमन करने की कार्यवाही पर आमादा है जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई अधिकार नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का प्रत्यक्ष रूप से हित निहित होने के कारण प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार संयोजित किया जावे और प्रकरण को अन्तिम रूप से निर्णित किया जावे। वादग्रस्त आराजी स्वर्ण जाति के सदस्य की जागीर भूमि है जिसका अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति मीणा जाति के सदस्य के नाम तत्पश्चात् अनुसूचित जाति अथवा सामान्य जाति के सदस्य के नाम हस्तान्तरित की गई है जो प्रारम्भ से शून्य होने से रेफरेन्स को सुनने का विचारण न्यायालय में शक्तियां निहित है। माननीय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक कोर्ट/क्षे.अ./2017/912 दिनांक 11.04.2017 द्वारा भी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र का तहसील क्षैत्र सांगानेर विचारण न्यायालय को आवंटित है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को सुनने का श्रवण क्षेत्राधिकार होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 स्वीकार फरमाया जावे।	

लगातार.....

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा० रेफ० सं० 08/2022 ....सरकार........... बनाम ....चरणसिंह वगैरह

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	विद्वान् राजकीय अभिभाषक व अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान् अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता देहन्दा प्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुऐ कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 देहन्दा का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है यदि किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी में कोई हक–हकूक है तो सक्षम न्यायालय से अपने अधिकारों की घोषणा करावे। रेफरेन्स के स्तर पर कोई दादरसी प्राप्त नहीं कर सकते है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह वादग्रस्त आराजी के पक्षकारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किये जाने से अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत दादरसी प्राप्त करने के लिऐ प्रस्तुत किया गया है, जो त्रुटिवश सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। धारा 175 के अन्तर्गत बेदखली हेतु प्रार्थना–पत्र सुनने का अधिकार सहायक कलक्टर को है। अतः सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया जावे। हमने उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 देहन्दा के विद्वान् अभिभाषक का कथन रहा है कि विचारण रेफरेन्स सुनने का अधिकार विचारण न्यायालय को ही है क्योंकि जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक कोर्ट/क्षे.अ./2017/912 दिनांक 11.04.2017 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र हेतु तहसील क्षैत्र सांगानेर विचारण न्यायालय को आवंटित है, विद्वान् अभिभाषकगण का कथन इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि जिस श्रवण क्षैत्राधिकार आदेश दि0 11.04.2017 का कथन किया गया है वह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82, 88 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के प्रयोजनार्थ कलक्टर/अतिरिक्त कलक्टर में शक्तियां निहित होने से आवंटित है, जबकि जो प्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है और धारा 175 के प्रावधानों की ही दादरसी चाही गई है। धारा 175 के प्रयोजनार्थ सहायक कलक्टर में शक्तियां निहित है न कि अतिरिक्त कलक्टर में, ऐसी स्थिति में विचारण प्रार्थना–पत्र को श्रवण क्षैत्राधिकार न होने/निस्तारित करने की शक्ति सहायक कलक्टर को होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटाऐ जाने के आदेश दिऐ जाते है। मूल प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	पत्रांक 512 01-03-22 से निर्णय प्रति भेजी।

लगातार.....